



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

“ जन-जन के लिये भण्डारण”-“Warehousing for Everyone”



No. CWC CO-TDOCORD/55/2020-TECH

Date:23.10.2023

Regional Managers,
Regional Office,
Ahmedabad/Bengaluru/ Bhopal/ Chandigarh/ Chennai/ Delhi/ Guwahati/
Hyderabad/ Jaipur/ Kochi/ Kolkata/ Lucknow/ Mumbai/ Patna.

Subject: -Guidelines for allocation of Inspections....reg.

Please refer to the cited subject. In this regard, it is to inform that, ISO document number P/INSP/01 dated 08.08.2023 has already been revised by the Inspection Division (available on HRMS portal).

As per clause no. 5.1.2 of Revised ISO document no. P/INSP/01, “It should also be ensured that, no cross-inspection are to be carried out in any case”.

“Cross-Inspection means Warehouse Manager inspect each other's warehouses”.

In addition to above, the following guidelines are also to be adhere to: -

“Avoid allocation of the General Inspection to the Official, who has previously conducted Technical Inspection of the Centre & vice-versa”. As it may affect the proper reporting of the discrepancies noticed at the Warehouse in the subsequent Inspections i.e. General Inspection or Technical Inspection, which was left/not noticed during the previous Inspection.

All the Regional Managers are advised to adhered to above guidelines, while allocation of General/Technical Inspections in their region.

This is for information & necessary action.

GM (Inspection)

Copy to:-

1. PPS to Direction (Pers.)...for information please.
2. GGM (System)/GGM (Fin.)/GGM (Comm.)/GM (Tech.)/GM (NBP&P)/GM (BDA & Marketing)/DGM (Vig.) CWC, CO, New Delhi...for information.



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

“ जन-जन के लिये भण्डारण”-“Warehousing for Everyone”



सं. CWC CO-TD0CORD/55/2020-TECH

दिनांक: 23.10.2023

क्षेत्रीय प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
अहमदाबाद/बेंगलुरु/भोपाल/चंडीगढ़/चेन्नई/दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/कोच्चि/कोलकाता/ल
खनऊ/मुंबई/पटना।

विषय: - निरीक्षणों के आवंटन के लिए दिशानिर्देश के संदर्भ में।

कृपया उद्धृत विषय का संदर्भ लें। इस संबंध में सूचित करना है कि, निरीक्षण प्रभाग द्वारा आईएसओ दस्तावेज़ संख्या पी/आईएनएसपी/01 को दिनांक 08.08.2023 संशोधित कर दिया गया है (एचआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है)। जिसके क्लॉज़ क्र. 5.1.2. के अनुसार "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, किसी भी मामले में कोई क्रॉस-निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए"। "क्रॉस-निरीक्षण" का मतलब है कि, भंडारगृह प्रबंधक द्वारा एक-दूसरे के भंडारगृहों का निरीक्षण।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाना चाहिए: -

उस अधिकारी को सामान्य निरीक्षण आवंटित करने से बचें, जिसने पहले केंद्र का तकनीकी निरीक्षण किया हो और उस अधिकारी को तकनीकी निरीक्षण आवंटित करने से बचें, जिसने पहले केंद्र का सामान्य सामान्य निरीक्षण किया हो। क्योंकि यह बाद के निरीक्षणों यानी सामान्य निरीक्षण या तकनीकी निरीक्षण में भंडारगृहों में देखी गई विसंगतियों की उचित रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है, जिसे पिछले निरीक्षण के दौरान छोड़ दिया गया था/ध्यान नहीं दिया गया था।

सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि, वे अपने क्षेत्र में सामान्य/तकनीकी निरीक्षणों का आवंटन करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।

यह सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

महाप्रबंधक (निरीक्षण)

प्रति:-

1. निदेशक (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव..... कृपया जानकारी के लिए।
2. समूह महाप्रबंधक (प्रणाली)/ समूह महाप्रबंधक (वित्त) / समूह महाप्रबंधक (वाणिज्य)/ महाप्रबंधक (तकनीकी)/ महाप्रबंधक (एनबीपी&पी) / महाप्रबंधक (बीडीए एवं मार्केटिंग)/ उपमहाप्रबंधक (सतर्कता), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली...सूचनार्थ।